

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2 डब्ल्यू. पी./505/98



पंजी क्रमांक भोपाल डिजीजन
एम. पी.2/पी-122/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 1998—पौष 19, शके 1919

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1997

क्र. एफ-1 (बी)-25-93-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक में, कालम (4) में अनुक्रमांक 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“रुपये 2200—75—2800—100—4000.”

2. यह संशोधन 18 अगस्त, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस. के. बेहार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1997

क्र. एफ-1 (बी)-25-93-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (बी)-25-93-ई-चार, दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के अंग्रेजी

भोपाल; दिनांक 3 जनवरी 1998

फा. नं. 38-स्था-रा. वि. से. प्रा.-97.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ.— इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39);

(ख) “सहायता प्राप्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम, नियमों तथा उन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विधिक सेवा उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष;

(घ) “मुख्य न्यायाधिपति” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति;

(ङ) “समिति” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;

(च) “जिला प्राधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;

(छ) “कार्यकारी अध्यक्ष” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;

(ज) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय;

(झ) “विधि व्यवसायी”—अभिव्यक्ति “विधि व्यवसायो” का वही अर्थ होगा जो कि उसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में दिया गया है;

(ञ) “विधिक सेवा” के अन्तर्गत आता है किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाहियों के संचालन में दी गई कोई सेवा और किसी विधिक विषय पर सलाह देना;

(ट) “विधिक सेवा अधिवक्ता” से अभिप्रेत है ऐसा अधिवक्ता जिसे विधिक सेवा संबंधी कोई काम सौंपा गया है;

(ठ) “विधिक सेवा काउन्सेल-सह-परामर्शी” से अभिप्रेत है ऐसा अधिवक्ता जो यथास्थिति, समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा काउन्सेल-सह-परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ड) “सदस्य” से अभिप्रेत है यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य;

(ढ) “नियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996;

(ण) “सचिव” से अभिप्रेत है यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव;

(त) “राज्य प्राधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;

(थ) “धारा” से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा;

(द) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य की सरकार;

(ध) “उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिन्हें इन विनियमों में प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें क्रमशः इस अधिनियम में दिया गया है.

अध्याय 2

1. सामान्य

3. समिति के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएँ.—(1) समिति में 8 सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे,

(2) निम्नलिखित, समिति के पदेन सदस्य होंगे :—

(एक) उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जबलपुर का अध्यक्ष.

(दो) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ का अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) तथा अन्य पीठों के रजिस्ट्रार.

(3) कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख संरक्षक के परामर्श से उन व्यक्तियों में से, जो उप विनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव तथा अर्हताएँ रखते हैं, चार से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा.

(4) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो जनता के कमजोर वर्ग के उद्धार में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में एक विख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो, जो कि विधिक सेवा योजनाओं को कार्यान्वित करने में विशेष रूप से हितबद्ध हो।

4. समिति के सदस्यों के पद के निबंधन तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें.—(1) पदेन सदस्य से भिन्न, समिति के सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी:

परन्तु कोई सदस्य एक और पदावधि के लिए पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होगा।

(2) (एक) मुख्य न्यायाधिपति, विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये ऐसे सदस्य को हटा सकेंगे जो—

(क) पर्याप्त कारण के बिना, समिति के लगातार तीन सम्मिलनों में उपस्थित होने में असफल रहता है, या

(ख) दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, या

(ग) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जो कि मुख्य न्यायाधिपति की राय में नैतिक अधःपतन अंतर्वलित करता है, या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग कर चुका है कि जिससे समिति में उसका बना रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होगा।

(दो) खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सदस्य उस खण्ड के उपखण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर तब तक समिति से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष ने, उसे समिति द्वारा इस निमित्त किए गए निर्देश पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसके द्वारा की गई जांच पर यह अनुशंसा न कर दी हो कि उस सदस्य को ऐसे आधार पर हटा दिया जाए।

(तीन) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबंधित अपने हस्ताक्षर से समिति से पदत्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावशील होगा।

(3) समिति के सदस्य के पद में किसी रिक्ति को उसी रीति में भरा जाएगा जो नामनिर्देशन के लिए उपबंधित है और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

(4) (क) विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट समस्त सदस्य समिति के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा समिति द्वारा उन्हें उन नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो कि राज्य सरकार के ग्रेड "क" के अधिकारियों को लागू होते हैं।

(ख) समस्त सदस्य, सिवाय अध्यक्ष के, यदि वे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, अवैतनिक हैसियत में कार्य करेंगे।

(5) विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन आने वाले समस्त सदस्य और उस विनियम के उप-विनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो सेवारत शासकीय अधिकारी हैं, समिति के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए उन्हें लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे और उन्हें उसका भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां से वे अपना वेतन तथा भत्ते का आहरण कर रहे हैं और इस मद्दे होने वाला व्यय उस लेखाशीर्ष के प्रति विकलित होगा जिसमें उनके वेतन तथा भत्ते का विकलन किया जाएगा।

5. समिति की शक्तियां तथा कृत्य.—(क) विधिक सेवा कार्यक्रमों को, जहां तक वह उच्च न्यायालय से संबंधित है, प्रशासित तथा कार्यान्वित करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे समस्त कदम उठाना जो कि आवश्यक हों, तथा केन्द्रीय प्राधिकारी या राज्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना,

(ख) विधिक सेवाओं के लिए आवेदनों को प्राप्त करना तथा उनकी संवीक्षा करना तथा विधिक सेवाएं प्रदान करने या उन्हें वापस लेने संबंधी समस्त प्रश्नों का ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं का विनिश्चय करना,

(ग) विधिक सेवा देने के लिए उच्च न्यायालय के अभिभाषकों की सूची बनाए रखना।

(घ) उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को विधिक सेवाओं के लिए मानदेय, खर्च, प्रभारों तथा व्ययों के भुगतान से संबंधित समस्त मामलों का विनिश्चय करना।

(ङ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के संबंध में विवरणियां, रिपोर्ट तथा सांख्यिकीय जानकारी तैयार करना तथा राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।

6. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य.—(1) समिति का अध्यक्ष-प्रशासन तथा समिति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पूर्ण रूप से प्रभारी होगा,

(2) अध्यक्ष, तीन माह की कालावधि में कम से कम एक बार सचिव के माध्यम से समिति के सम्मिलनों का आव्हान करेगा।

(3) अध्यक्ष, समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष को समिति को समस्त अवशिष्ट शक्तियां होंगी।

7. समिति के सचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें.—(1) समिति का सचिव प्रतिनियुक्ति पर पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा पांच वर्ष की पदावधि से अनधिक के लिए पद धारण करेगा।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, लाभ तथा हकदारी और आनुशासिक विषयों जैसे समस्त विषयों में सचिव यथास्थिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम,

1994 या हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश आफिसर्स एण्ड एम्पलाईज रिक्रूटमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील एण्ड कंडक्ट) रूलस, 1996 से शासित होगा।

8. समिति के सचिव के कृत्य तथा शक्तियाँ.—(1) सचिव, समिति का प्रमुख अधिकारी होगा तथा समिति के व्ययन के अधीन की समस्त आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा।

(2) सचिव, समिति की निधियों की प्राप्तियों तथा संवितरणों का तथा आवश्यक समस्त अभिलेखों का सही तथा उचित लेखा संधारित करेगा या संधारित करवायेगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के समिति के सम्मिलन बुलाएगा और सम्मिलनों में उपस्थित रहेगा तथा सम्मिलनों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सही और ठीक अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) समित के समस्त अभिलेख तथा विनिश्चय समिति के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित किए जायेंगे।

9. समिति के सम्मिलन.—(1) समिति का सम्मिलन तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तारीखों पर तथा ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देशित करे।

(2) कार्यवृत्त समस्त युक्तियुक्त समयों पर समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुले रहेंगे।

(3) सम्मिलन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष को अग्रेषित की जाएगी।

(4) सम्मिलन के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, चार होगी।

(5) ऐसे समस्त प्रश्न जो समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष आते हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे तथा बराबर-बराबर मत की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

10. समिति की निधियाँ, संपरीक्षण तथा लेखे.—(1) समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति निधि के नाम से कही जाने वाली एक निधि संधारित करेगी जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(क) ऐसी समस्त रकम जो कि राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे आवंटित तथा प्रदान की गई है;

(ख) ऐसी समस्त रकम जो समिति द्वारा संदान के रूप में प्राप्त की गई है;

(ग) ऐसी समस्त रकम, जो उस व्यक्ति से जिसे विधिक सेवा उपलब्ध की गई है, या उसके विरुद्ध पक्ष से खर्च, प्रभार तथा व्यय के रूप में वसूल की गई है।

(2) उक्त निधि में जमा की गई समस्त रकमें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निक्षेप की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम में “राष्ट्रीयकृत बैंक” से अभिप्रेत है कोई तत्स्थानी नवीन बैंक जैसा कि वह बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 में परिभाषित हैं।

(3) न्यायालय शुल्क स्टाम्प तथा ऐसे व्यय जो दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लगने वाले आनुषांगिक गौण प्रभार जो आवश्यक हों, की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए दो हजार पांच सौ रुपये का एक स्थायी अग्रिम समिति के सचिव के व्ययन पर रहेगा।

(4) विधिक सेवा समिति के आवास तथा कर्मचारीगण पर समस्त व्यय तथा साथ ही समिति के विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यय, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, समिति की निधि में से उपगत किए जाएंगे।

(5) समिति की निधि का उपयोग विधिक सेवा क्रियाकलापों के संबंध में अध्यक्ष या समिति के अन्य सदस्यों या सचिव द्वारा की गई यात्राओं पर या उससे आनुषांगिक व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जा सकेगा। अध्यक्ष, पदेन सदस्यों तथा सचिव को देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ऐसा होगा जिसके कि लिए वे क्रमशः अपने पद के कारण हकदार हैं।

(6) समिति का सचिव अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार समिति के बैंक के खाते का प्रचालन करेगा।

(7) समिति समस्त प्राप्तियों तथा संवितरणों का सही तथा ठीक लेखा रखवाएगी और संधारित करवाएगी तथा राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगी।

(8) समिति के लेखे की, किसी अर्हता प्राप्त संपरीक्षक से वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी तथा वह राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

2. समिति द्वारा विधिक सेवाएं

11. विधिक सेवा के लिए आवेदन.—(1) उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही करने या उसका प्रतिरक्षण करने के लिए विधिक सेवा प्राप्त करने का इच्छुक ऐसा कोई भी व्यक्ति सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ प्रारूप एक में, एक शपथ-पत्र होगा। तथापि यदि आवेदक निरक्षर है या हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, तो सचिव या समिति का कोई अधिकारी उसके मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा तथा अभिलेख पर उसका अंगूठे का चिह्न प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जाएगा।

(2) समिति आवेदनों का एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें विधिक सेवा के लिए समस्त आवेदन तारीखवार प्रविष्ट तथा रजिस्ट्रिकृत किए जाएंगे और ऐसे आवेदनों पर की गई कार्यवाही ऐसे आवेदनों से संबंधित प्रविष्टी के सामने अंकित की जाएगी।

12. आवेदनों का निपटारा.—(1) विधिक सेवा के लिए विनियम 11 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, सचिव प्रथमतः अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच करेगा तथा उसका अवधारण करेगा या उसकी जांच और अवधारण करवाएगा।

(2) यदि आवेदक पात्रता के मापदण्ड का समाधान करता है, तो सचिव उसके आवेदन पर गुणागुण की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होगा और यदि आवेदक का आवेदन गुणागुण पर आधारित है, तो सचिव विधिक सेवा के ढंग के बारे में विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(3) किसी विषय में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए कोई आवेदन, यदि गुणागुणयुक्त न पाया जाए तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह सचिव द्वारा निरस्थ किया जा सकेगा।

(4) विधिक सेवा प्रदान करने से इन्कार किए जाने के मामले में सचिव आवेदक को ऐसे इन्कार किए जाने के बारे में लिखित में सूचना देगा।

(5) ऐसा आवेदक, विधिक सेवा प्रदान करने के लिए जिसका आवेदन अस्वीकर किया गया है, विनिश्चय के लिए अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा।

13. विधिक सेवा का ढंग.—समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवा में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सम्मिलित होंगे :—

- (क) न्यायालय फीस, आदेशिका फीस का भुगतान तथा किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या उपगत अन्य समस्त प्रभार;
- (ख) किसी विधिक कार्यवाही के प्रारूपण, उसके तैयार करने और फाईल करने के प्रभार तथा विधिक कार्यवाहियों में किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व;
- (ग) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने तथा प्रदान करने के व्यय;
- (घ) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पेपर-बुक (दस्तावेजों के कागज, मुद्रण तथा अनुवाद को सम्मिलित करते हुए) के तैयार किये जाने का खर्च तथा उससे आनुषंगिक व्यय।

14. कतिपय मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.—निम्नलिखित मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(1) ऐसी कार्यवाहियां जो पूर्णतः या अंशतः,—

- (क) मानहानि, या
- (ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन, या

(ग) न्यायालय की अवमानना के लिए आरोपित कोई व्यक्ति, तथा

(घ) शपथ भंग,

के संबंध में हों।

(2) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाहियां।

(3) ऐसी कार्यवाहियां जो उप विनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों की आनुषंगिक हों।

(4) ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही जहां अधिरोपित जुर्माना 50/-रु. से अधिक न हो।

(5) आर्थिक अपराधों के संबंध में तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 जैसे सामाजिक विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कार्यवाहियां जब तक कि ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा सहायता न चाही गयी हो :

परन्तु अध्यक्ष उपयुक्त मामले में ऐसी कार्यवाहियों में भी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(6) जहां विधिक सेवा की वांछा करने वाला व्यक्ति :—

- (क) केवल प्रतिनिधि या अधिकारिक हैसियत में कार्यवाहियों से संबंधित है, या
- (ख) कार्यवाहियों का औपचारिक पक्षकार है जो कार्यवाहियों की जाने में सारवान रूप से संबंधित नहीं है और उसका हित समुचित प्रतिनिधित्व के अभाव की दशा में प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

15. कतिपय मामलों में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी.—साधन परीक्षण के होते हुए भी निम्नलिखित में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी :—

- (क) अत्याधिक लोक महत्व के मामलों में, या
- (ख) किसी विशेष मामले में, कारण अभिलिखित किए जाएंगे और जो अन्यथा विधिक सेवा के लिए पात्र समझा जाए।

16. विधिक सेवा अधिवक्ता तथा देय मानदेय.—(1) विधिक सेवा अधिवक्ता की सूची उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष

द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने 5 वर्ष से कम अवधि के लिए विधि व्यवसाय किया हो सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए।

(3) ऐसा कोई विधि व्यवसायी जिसे या तो विधिक परामर्श के लिए या विधिक सेवा के लिए कोई मामला सौंपा गया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे वह नकदी में यह वस्तु रूप में हो या आर्थिक या अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा तथापि कार्यकारी अध्यक्ष यह अधिकार सुरक्षित रखेगा कि उस मामले में जहां कोई विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक स्वीकार करता है तब अपना समाधान कर लेने के पश्चात् वह ऐसे अधिवक्ता से वह मामला प्रत्याहरित कर सकेगा तथा उसे सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात् सूची से उसका नाम रद्द कर सकेगा।

(4) ऐसा कोई विधि व्यवसायी जिसने उसे सौंपा गया कार्य पूर्ण कर लिया है, उसे शोध्य मानदेय के साथ विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गई विधिक कार्यवाहियों के संबंध में किए गए कार्य की रिपोर्ट दर्शाने वाला एक विवरण सचिव या समिति को प्रस्तुत करेगा, जो सम्यक् संवीक्षा के पश्चात् उसे देय फीस तथा व्ययों की मंजूरी देगा। तथापि विधिक सेवा अधिवक्ता उस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अपने मानदेय का पूर्णतः या अंशतः अधित्यजन करे। किसी विधिक सेवा अधिवक्ता को देय मानदेय की मात्रा के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में वह विषय विनिश्चय के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथापि सचिव ऐसे विधिक सेवा अधिवक्ता द्वारा उपगत किये गये व्ययों तथा उसको देय मानदेय का अन्तरिम भुगतान कर सकेगा।

17. विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्त्तव्य.—(1) विधिक सेवा चाहने वाला कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि विधिक सेवाओं के लिए आवेदन किया जाता है, उसको प्रदत्त की गई विधिक सेवाओं का उपयोग करने पर्यन्त समिति के सचिव या उसके किसी सदस्य द्वारा की गई किसी अध्यपेक्षा या दिए गए निर्देश का अनुपालन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति प्रारूप-दो में, इस आशय का एक वचनबद्ध सह-घोषणा निष्पादित करेगा कि उस दशा में जबकि न्यायालय उसके पक्ष में कोई डिक्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्च या अन्य आर्थिक प्रसुविधा या लाभ प्रदान करता है तो वह उन समस्त खर्चों, प्रभारों का तथा व्ययों का जो कि समिति ने उसे विधिक सेवा प्रदान करने में उपगत किए हैं, समिति को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिसंदाय करेगा, ऐसी प्रतिपूर्ति प्रभावित करने के लिए वह समिति के सचिव को प्राधिकृत करेगा इस प्रकार वसूल किए गए खर्च, प्रभार तथा व्यय समिति की निधि में जमा किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, समिति या उसे विधिक सेवा देने वाले अधिवक्ता द्वारा जब कभी अपेक्षित किया जाए समिति के कार्यालय में उपस्थित होगा और संबंधित विधिक सेवा अधिवक्ता को सम्पूर्ण तथा सही जानकारी प्रदान करेगा और सभी बातें प्रकट करेगा तथा जब कभी अपेक्षित किया जाए अपने व्यय पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

18. विधिक सेवा का प्रत्याहरण.—(1) समिति या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति को प्रदत्त की गई विधिक सेवा निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्याहरित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस दशा में जबकि यह पाया जाए कि सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास प्रयाप्त साधन थे या उसने दुर्व्यपदेशन या कपट से विधिक सेवा प्राप्त की है।

(ख) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन हुआ हो,

(ग) उस दशा में जबकि विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति द्वारा विधिक सेवा प्राप्त करने के क्रम में कोई कदाचार, गैर तौर तरीके या उपेक्षा की गई है,

(घ) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति समिति या समिति द्वारा अभिहस्तांकित विधिक सेवा अधिवक्ता से सहकार्य नहीं कर रहा है,

(ङ) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति समिति द्वारा अभिहस्तांकित विधि-व्यवसायी से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को काम में लगाता है,

(च) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, सिवाय सिविल कार्यवाहियों के जहां अधिकार या दायित्व बचा रहता है,

(छ) उस दशा में जबकि विधिक सेवा के लिए आवेदन या प्रश्नगत विषय के बारे में यह पाया जाए कि वह विधि की प्रक्रिया या विधिक सेवा का दुरुपयोग है;

परन्तु सहायता प्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वैध प्रतिनिधियों को यह कारण बताने के लिए कि विधिक सेवा क्यों न प्रत्याहरित की जाए, ऐसे प्रत्याहरण की सम्यक् सूचना दिये बिना विधिक सेवा प्रत्याहरित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(ज) उस न्यायालय की जहां वह मामला लम्बित है की अनुशांसा पर.

(2) जहां उप विनियम (1) के खण्ड (क) में दिए गए आधारों पर विधिक सेवा प्रत्याहरित की जाती है, वहां समिति, सहायता प्राप्त व्यक्ति से उसे प्रदान की गई विधिक सेवा की रकम वसूल करने की हकदार होगी.

अध्याय-3

1 सामान्य

19. जिला प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें.—(1) जिला प्राधिकरण के सदस्य की जो पदेन सदस्य से भिन्न हो पदावधि दो वर्ष की होगी, परन्तु कोई सदस्य एक और पदावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होगा.

(2) (क) (एक) जिला प्राधिकरण का वह सदस्य जो नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया है, राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में उसका बना रहना वांछनीय नहीं है.

(दो) कोई सदस्य जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से जिला प्राधिकरण से पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

(ख) जिला प्राधिकरण के सदस्य के पद में किसी रिक्ति को उसी रीति में भरा जाएगा जो नाम-निर्देशन के लिए उपबंधित है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष पदावधि के लिए पदधारण करेगा.

(3) (क) नियम 14 के उप नियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट समस्त सदस्य जिला प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा जिला प्राधिकरण द्वारा उन्हें, उन नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो कि राज्य सरकार के ग्रेड "ख" के अधिकारियों को लागू होते हैं.

(ख) समस्त सदस्य अवैतनिक हैसियत में कार्य करेंगे.

(4) ऐसे समस्त सदस्य जो सेवारत शासकीय अधिकारी या कर्मचारी हैं, जिला प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के संबंध में उन्हें लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे और उन्हें उसका भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां से वे अपना वेतन तथा भत्ते

का आहरण कर रहे हैं, और इस मददे होने वाला व्यय उस लेखाशीर्ष के प्रति विकलित होगा जिसमें उनके वेतन भत्ते का विकलन किया जाएगा.

20. जिला प्राधिकरण के अन्य कृत्य.— धारा 10 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) जिले के भीतर के उन व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन मानदण्ड रखते हैं, विधिक सेवा प्रदान करना,

(ख) जिले के भीतर निवारक तथा महत्वपूर्ण विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करना,

(ग) ऐसे विधिक सेवा कार्यक्रमों को, जहां तक कि वे जिले के भीतर के न्यायालयों से संबंधित हैं, प्रशासित और कार्यान्वित करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे समस्त कदम उठाना जो कि आवश्यक हों तथा केन्द्रीय प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना,

(घ) विधिक सेवाओं के लिए आवेदनों को प्राप्त करना तथा उनकी संवीक्षा करना तथा विधिक सेवा प्रदान करने या उसे वापस लेने संबंधी समस्त प्रश्नों का विनिश्चय करना,

(ङ) अधिवक्ताओं को विधिक सेवाओं के लिए देय मानदेय, खर्चें, प्रभारों तथा व्ययों के भुगतान से संबंधित समस्त मामलों का विनिश्चय करना, तथा

(च) विधिक सेवा कार्यक्रमों के संबंध में विवरणियां, रिपोर्ट तथा सांख्यिकी जानकारी तैयार करना तथा उन्हें राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करना.

21. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य.—

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्रशासन का तथा राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सम्पूर्ण रूप से प्रभारी होगा,

(2) अध्यक्ष, तीन माह की कालावधि में कम से कम एक बार जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से जिला प्राधिकरण के सम्मिलनों का आव्हान करेगा.

(3) अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

(4) अध्यक्ष को समिति की समस्त अवशिष्ट शक्तियां होंगी.

22. जिला प्राधिकरण के सचिव की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें.— (1) जिला प्राधिकरण का सचिव 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा और अंशकालिक कर्मचारी होगा जिसे अतिरिक्त कर्तव्य भत्ते के रूप में तीन सौ रूपए प्रतिमास मानदेय संदाय किया जाएगा.

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं और हकदारियां तथा अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में सचिव उन नियमों से प्रशासित होगा जो न्यायिक अधिकारी के रूप में उस पर लागू हों.

23. जिला प्राधिकरण के सचिव के कृत्य तथा शक्तियां.— (1) सचिव, जिला प्राधिकरण का प्रमुख अधिकारी होगा तथा राज्य प्राधिकरण के व्ययन के अधीन की समस्त आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों तथा निधियों और समस्त अन्य आवश्यक अभिलेखों का अभिरक्षक होगा.

(2) सचिव, जिला प्राधिकरण की निधियों की प्राप्तियों तथा संवितरणों का सही तथा उचित लेखा संधारित करेगा या संधारित करवाएगा.

(3) सचिव, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण का सम्मिलन बुलाएगा और सम्मिलनों में उपस्थित भी रहेगा और सम्मिलनों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा.

24. जिला प्राधिकरण का सम्मिलन.— (1) जिला प्राधिकरण का सम्मिलन तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तारीख पर तथा ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्देशित करे.

(2) सम्मिलन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उसके कार्यवृत्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को अग्रेषित किए जाएंगे.

(3) सम्मिलन के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन होगी.

(4) ऐसे समस्त प्रश्न, जो जिला प्राधिकरण के किसी सम्मिलन के समक्ष आते हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा.

25. जिला प्राधिकरण की निधियां.— (1) जिला प्राधिकरण एक निधि बनाए रखेगा जिसे जिला विधिक सहायता निधि कहा जाएगा. जिसमें निम्नलिखित जमा किए जायेंगे :—

(क) ऐसी रकम जैसी कि राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे आवंटित तथा स्वीकृत की जाए,

(ख) ऐसी समस्त रकम, जो जिला प्राधिकरण द्वारा संदान के रूप में प्राप्त की गई है.

(ग) ऐसी समस्त रकम जो उस व्यक्ति से जिसे विधिक सेवा उपलब्ध की गई है, या उसके विरुद्ध पक्ष से खर्चें प्रभार तथा व्यय के रूप में वसूल की गई है.

(2) जिला विधिक सहायता निधि में जमा की गई समस्त रकमे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निक्षेप की जाएंगी.

स्पष्टीकरण.— इस उप विनियमन में “राष्ट्रीयकृत बैंक” से अभिप्रेत है कोई तत्स्थानी नवीन बैंक जैसा कि वह बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण, अधिनियम, 1970 तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 में परिभाषित हैं.

(3) न्यायालय शुल्क, स्टाम्प तथा ऐसे व्यय जो दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लगने वाले आनुषंगिक गौण प्रभार जो आवश्यक हों की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए दो हजार रुपये का स्थायी अग्रिम, जिला प्राधिकरण के सचिव के व्ययन पर रहेगा.

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आवास तथा कर्मचारीगण पर समस्त व्यय तथा साथ ही जिला प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यय जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अनुसार जिला प्राधिकरण की निधियों में से उपगत किए जाएंगे.

(5) जिला प्राधिकरण की निधियों का उपयोग विधिक सेवा क्रियाकलापों के संबंध में जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव या अन्य सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं पर या उससे आनुषंगिक व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जा सकेगा. अध्यक्ष, पदेन सदस्य तथा सचिव को देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ऐसा होगा जिसके लिए कि वे क्रमशः अपने पद के कारण हकदार हैं.

(6) सचिव, अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला प्राधिकरण के बैंक खातों का प्रचालन करेगा.

(7) जिला प्राधिकरण, समस्त प्राप्तियां तथा संवितरणों का सही और ठीक लेखा रखवाएगा और संधारित करवायेगा तथा राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा.

2 जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाएं

26. विधिक सेवा के लिए आवेदन.— (1) जिले के भीतर के किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही करने या उसका प्रतिरक्षण करने

के लिए विधिक सेवा प्राप्त करने का इच्छुक ऐसा कोई भी व्यक्ति सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ प्रारूप-एक में एक शपथ-पत्र होगा। तथापि यदि आवेदक निरक्षर है या हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो सचिव उसका मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा और अभिलेख पर उसके अंगूठे का चिन्ह प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जाएगा।

(2) जिला प्राधिकरण आवेदनों का एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें विधिक सेवा के लिए समस्त आवेदन तारीखवार प्रविष्ट तथा रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और ऐसे आवेदनों पर की गई कार्यवाई ऐसे आवेदनों से संबंधित प्रविष्टि के सामने अंकित की जाएगी।

27. आवेदनों का निपटारा.— (1) विधिक सेवा के लिए विनियम 26 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर सचिव प्रथमतः अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच करेगा तथा उसका अवधारण करेगा या उसकी जांच और अवधारण करवाएगा।

(2) यदि आवेदक पात्रता के मापदण्ड का समाधान करता है तो सचिव उसके आवेदन पर गुणागुण की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होगा और यदि आवेदक का आवेदक गुणागुण पर आधारित है तो सचिव विधिक सेवा के ढंग के बारे में विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(3) किसी विषय में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए कोई आवेदन यदि गुणागुणयुक्त न पाया जाए तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह सचिव द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

(4) विधिक सेवा प्रदान करने से इंकार किए जाने के मामले में सचिव आवेदक को ऐसे इंकार किए जाने के बारे में लिखित में सूचना देगा।

(5) ऐसा आवेदक, विधिक सेवा प्रदान करने के लिए, जिसका आवेदन अस्वीकार किया गया है, विनिश्चय के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा।

28. विधिक सेवा का ढंग— जिला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवा में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सम्मिलित होंगे :—

(क) न्यायालय फीस, आदेशिका फीस का भुगतान तथा किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या उपगत अन्य समस्त प्रभार;

(ख) किसी विधिक कार्यवाही के प्रारूपण उसके तैयार करने और फाईल करने के प्रभार तथा विधिक कार्यवाहियों में किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व;

(ग) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों अभिप्राप्त करने तथा प्रदान करने के व्यय;

(घ) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में दस्तावेजों के अनुवाद का खर्च तथा उससे आनुषांगिक व्यय।

29. कतिपय मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.— निम्नलिखित मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(1) ऐसी कार्यवाहियां जो पूर्णतः या अंशतः :—

(क) मानहानि; या

(ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन; या

(ग) न्यायालय की अवमानना के लिए आरोपित कोई व्यक्ति; तथा

(घ) शपथ भंग ;

के संबंध में हो।

(2) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाहियां;

(3) ऐसी कार्यवाहियां जो उप-विनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किन्ही कार्यवाहियों की आनुषांगिक हों

(4) ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही जहां अधिरोपित जुर्माना 50/- रु. से अधिक न हो।

(5) आर्थिक अपराधों के संबंध में तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 जैसे सामाजिक विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कार्यवाहियां जब तक कि ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा सहायता न चाही गई हो परन्तु अध्यक्ष उपयुक्त मामले में ऐसी कार्यवाहियों में भी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(6) जहां विधिक सेवा की वांछा करने वाला व्यक्ति :—

(क) केवल प्रतिनिधि या अधिकारिक हैसियत में कार्यवाहियों से संबंधित है, या

(ख) कार्यवाहियों का औपचारिक पक्षकार है जो कार्यवाहियों की जाने में सारवान रूप से संबंधित नहीं है और उसका हित समुचित प्रतिनिधित्व के अभाव की दशा में प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

30. कतिपय मामलों में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी.— साधन परीक्षण के होते हुए भी निम्नलिखित में विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी:—

(क) अत्यधिक लोक महत्व के मामलों में ; या

(ख) किसी विशेष मामले में, कारण अभिलिखित किए जाएंगे और जो अन्यथा विधिक सेवा के लिए पात्र समझा जाए.

31. विधिक सेवा अधिवक्ता तथा देय मानदेय.— (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के परामर्श के विधिक सेवा अधिवक्ताओं के रूप में वकीलों की एक सूची तैयार करेगा. ऐसे किसी व्यक्ति को उस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसने पांच वर्ष से कम विधि व्यवसाय किया हो. तालुका समिति के लिए जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, तालुका समिति में अध्यक्ष के परामर्श से वकीलों की एक सूची तैयार करेगा. ऐसे किसी भी व्यक्ति को उस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसने तीन वर्ष से कम विधि व्यवसाय किया हो.

(2) विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शन के अनुसार जिला प्राधिकरण नियत करे.

(3) ऐसा कोई विधि व्यवसायी, जिसे या तो विधिक परामर्श के लिए या विधिक सेवा के लिए कोई मामला सौंपा गया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे वह नकदी में या वह वस्तु रूप में हो या आर्थिक या अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा. तथापि, कार्यकारी अध्यक्ष यह अधिकार से सुरक्षित रखेगा कि उस मामले में जहां कोई विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक स्वीकार करता है, तब अपना समाधान कर लेने के पश्चात् वह ऐसे अधिवक्ता से वह मामला प्रत्याहरित कर सकेगा तथा उसे सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात् सूची से उसका नाम रद्द कर सकेगा.

(4) ऐसा कोई विधिक व्यवसायी जिसने उसे सौंपा गया कार्य पूर्ण कर लिया है, उसे शोध मानदेय के साथ विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गई विधिक कार्यवाहियों के संबंध में किए गए कार्य की रिपोर्ट दर्शाने वाला एक विवरण जिला प्राधिकरण के सचिव को प्रस्तुत करेगा जो सम्बद्ध संवीक्षा के पश्चात् उसे देय फीस तथा व्ययों की मंजूरी देगा. तथापि विधिक सेवा अधिवक्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह मानदेय का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधित्यजन कर दे. किसी विधिक सेवा अधिवक्ता को देय मानदेय की मात्रा के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में वह विषय विनिश्चय के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा. तथापि, सचिव ऐसे विधिक सेवा के अधिवक्ता द्वारा उपगत किए गए व्ययों तथा उसको देय मानदेय का अंतरिम भुगतान कर सकेगा.

32. विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य.— (1) विधिक सेवा चाहने वाला कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको विधिक सेवाओं

के लिए आवेदन किया जाता है, उसको प्रदत्त की गई विधिक सेवाओं का उपभोग करने पर्यन्त, जिला प्राधिकरण के सचिव या उसके किन्हीं सदस्यों द्वारा की गई कोई अध्यपेक्षा या दिए गए निर्देश का अनुपालन करेगा.

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, प्रारूप-दो में इस आशय का एक वचनबद्ध-सह-घोषणा निष्पादित करेगा कि उस दशा में जबकि न्यायालय उसके पक्ष में कोई डिक्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्च या अन्य आर्थिक प्रासुविधा या लाभ प्रदान करता है तो वह समस्त खर्चों, प्रभारों का तथा व्ययों का जोकि जिला प्राधिकरण ने उसे विधिक सेवा प्रदान करने में उपगत किये हैं, जिला प्राधिकरण को प्रति पूर्ति के रूप में प्रतिसंदाय करेगा. ऐसी प्रतिपूर्ति को प्रभावित करने हेतु वह जिला प्राधिकरण के सचिव को प्राधिकृत करेगा. इस प्रकार वसूल किये गये खर्च, प्रभार तथा व्यय जिला प्राधिकरण की निधि में जमा किये जाएंगे.

(3) प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जब कभी, जिला प्राधिकरण द्वारा या उसे विधिक सहायता देने वाले विधिक सेवा के अधिवक्ता द्वारा जब कभी अपेक्षित किया जाये जिला प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होगा और संबंधित विधिक सेवा अधिवक्ता को सम्पूर्ण तथा सही जानकारी देगा और सभी बातें प्रकट करेगा तथा जब कभी ऐसा अपेक्षित किया जाये, अपने व्यय पर न्यायालय में उपस्थित होगा.

33. विधिक सेवा का प्रत्याहरण.—जिला प्राधिकरण या तो स्वप्रेरण से या अन्यथा किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति को प्रदत्त की गई विधिक सेवा निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्याहरित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस दशा में जबकि यह पाया जाये कि सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन या उसने दुर्व्यवदेशन या कपट से विधिक सेवा प्राप्त की है;

(ख) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन हुआ हो ;

(ग) उस दशा में जबकि विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति द्वारा विधिक सेवा प्राप्त करने के क्रम में कोई कदाचार, गैर-तौरतरीके या उपेक्षा की गई है;

(घ) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति जिला प्राधिकरण को या जिला प्राधिकरण द्वारा अभिहस्तांकित विधिक सेवा अधिवक्ता से सहकार्य नहीं कर रहा है.

(ङ) उस दशा में जबकि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा अभिहस्तांकित विधि व्यवसायी से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को काम में लगाता है;

(च) उस दशा में जबकि सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, सिवाय सिविल कार्यवाहियों के जहां अधिकार या दायित्व बचा रहता है:

(छ) उस दशा में जबकि विधिक सेवा के लिये आवेदन या प्रश्नगत विषय के बारे में यह पाया जाये कि वह विधि की प्रक्रिया या विधिक सेवा का दुरुपयोग है:

परन्तु सहायता प्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वैद्य प्रतिनिधियों को यह कारण बताने के लिये कि विधिक सेवा क्यों न प्रत्याहरित की जाए ऐसे प्रत्याहरण की सम्यक सूचना दिये बिना विधिक सेवा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा प्रत्याहरण के लिये कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी.

(ज) उस न्यायालय की जहां वह मामला लम्बित है. कि अनुशंसा पर.

(2) जहां उपर्युक्त उप विनियम के खण्ड (क) में दिये गये आधारों पर विधिक सेवा प्रत्याहरित की जाती है, वहां जिला प्राधिकरण, सहायता प्राप्त व्यक्ति से उसे प्रदान की गई विधिक सेवा की रकम वसूल करने का हकदार होगा.

34. तालुका समिति के सदस्यों की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें.—(1) तालुका समिति के सदस्य की जो पदेन सदस्य से भिन्न हो पदावधि दो वर्ष की होगी :

परन्तु कोई सदस्य एक ओर पदावधि के लिये नाम निर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होगा. (2) (क) (एक) तालुका समिति का वह सदस्य जो नियम 17 के उप नियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया है, राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में उसका बना रहना वांछनीय नहीं है.

(दो) कोई सदस्य तालुका समिति के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से तालुका समिति से पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

(ख) तालुका समिति के सदस्य के पद में किसी रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जो नाम निर्देशन के लिये उपबंधित है और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की जिसके स्थान पर वह नाम निर्दिष्ट किया गया है, शेष पदावधि के लिये पद धारण करेगा.

(तीन) (क) नियम 17 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट समस्त सदस्य तालुका समिति के कार्य संबंध में की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा तालुका समिति द्वारा उन्हें समय-समय पर संशोधित उन नियमों के अनुसार भुगतान किया जायेगा जोकि राज्य सरकार के ग्रेड "ख" के अधिकारियों को लागू होते हैं.

(ख) समस्त सदस्य अवैतनिक हैसियत में कार्य करेंगे.

(4) ऐसे समस्त सदस्य जो सेवारत शासकीय अधिकारी या कर्मचारी हैं, तालुका समिति के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के संबंध में उन्हें लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे और उन्हें उसका भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जायेगा जहां से वे अपना वेतन तथा भत्ते का आहरण कर रहे हैं और इस मद में होने वाला व्यय उस लेखा शीर्ष के प्रति विकलित होगा जिसमें उनके वेतन भत्ते का विकलन किया जायेगा.

35. राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय.—राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय जबलपुर में स्थित होगा जहां कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है.

36. इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण को यथास्थिति अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक/तहसील/उपखण्ड विधिक सेवा समितियों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों जो उसकी स्वयं की स्थापना या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, अन्य जिला प्राधिकरणों या तालुक/तहसील/उपखण्ड विधिक सेवा समितियों की स्थापना पर हो, स्थानांतरण करने की शक्ति होगी.

37. संक्रमणकालीन शक्तियां.— राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष को ऐसी तत्काल/आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि उत्पन्न हो या परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हो सामना करने की संक्रमणकालीन शक्ति होगी.

38. यदि इन विनियमों के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस पर संरक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा.

प्ररूप-1

[विनियम 11 का उप-विनियम (1) तथा विनियम 26 का उप-विनियम (1) देखिए]

शपथ-पत्र

मैं आयु लगभग
वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी एतद्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा निम्नानुसार कथन करता हूं :—

- (क) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हूं;
- (ख) मैं मानव के दुर्व्यवहार या किसी बेगार का एक शिकार हूं;
- (ग) मैं विधिक सेवा के लिए पात्र हूं कारण कि मैं एक महिला या बालक हूं;
- (घ) मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा एक निःशक्त व्यक्ति हूं
- (ङ) मैं सामुदायिक विपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विपदा का शिकार होने के कारण दरिद्रता की परिस्थितियों के अधीन एक व्यक्ति हूं;

- (च) मैं एक औद्योगिक कर्मकार हूँ;
 (छ) मैं अभिरक्षा में हूँ;
 (ज) समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रुपये 12,000/- (बारह हजार रुपये केवल) है।

अभिसाक्षी

(जो लागू न हो उसे काट दें)

सत्यापन

मैं, श्री /श्रीमती/कुमारी ऊपर नामित अभिसाक्षी एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान से सत्य व सही है, उसमें कथन किया गया कुछ भी असत्य नहीं है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अतः भगवान मेरी सहायता करें।

आज तारीख सन् 199 को पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

प्ररूप-दो

[विनियम 17 का उप-विनियम (2) तथा विनियम 32 का उप-विनियम (2) देखिए]

वचनबद्ध-सह-घोषण

मैं आयु लगभग वर्ष, पुत्र/पुत्री/पति श्री निवासी एतद्वारा, निम्नानुसार से वचन देता हूँ/देती हूँ, तथा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि :-

1. मैं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/या जिला प्राधिकरण के सचिव या सदस्यों में से किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अधिग्रहण तथा निदेश का अनुपालन करूंगा।
2. मैं समिति/जिला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध किए गए विधिक सेवा अधिवक्ता को मेरे मामले के सभी तथ्यों की पूर्ण तथा सही जानकारी दूंगा।
3. मैं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश/न्यायालय में

(क)

..... के निर्णय से अपील में,

(ख) के लिए रिट की अधिकारिता में,

(ग) के रूप में कार्रवाई करने या उनका प्रतिरक्षण करने के लिए,

जाना चाहता हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

4. मैं, एतद्वारा यह करार करता हूँ कि उस दशा में जबकि न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में कोई डिक्री या आदेश पारित करते हुए मुझे खर्चे या अन्य मौद्रिक प्रसुविधा या लाभ दिया जाता है तो मैं, मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त खर्चे, प्रभार तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के तौर पर समिति/जिला प्राधिकरण को भुगतान करूंगा। मैं, एतद्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति /जिला प्राधिकरण के सचिव को ऐसी समस्त कार्य तथा बातें, जो कि मुझे भुगतान किए जाने के लिए डिक्री की गई या आदेश दी गई रकम की वसूली या उपयाप्त करने के लिए आवश्यक हों, करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूँ और उक्त वर्णित प्रयोजन के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करे।

5. मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उस दशा में यदि किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई प्रसुविधा मेरे पक्ष में प्रदान की जाती है तो उच्च न्यायालय/न्यायालय, इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि मुझे समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपगत किए गए व्यय के प्रति समिति/जिला प्राधिकरण ऐसी रकम का अपयोजन कर सकेगा तथा मैं समिति/जिला प्राधिकरण को भी इस संबंध में सही जानकारी दूंगा।

6. मैं करार करता हूँ कि मेरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय/न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, यदि किसी भी स्तर पर समिति /जिला प्राधिकरण द्वारा यह विचार किया जाता है कि मेरे मामले में लोग अदालत के माध्यम से सुलह हो सकती है या विनिश्चय किया जा सकता है।

आवेदक

एन. के. जैन, सदस्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 1998

फा. नं. 38-स्था-रा.वि.से.प्रा-97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक 38-स्था-रा.वि.से.प्रा.-97, दिनांक 3 जनवरी 1998 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

एन. के. जैन, सदस्य सचिव.

Bhopal, the 3rd January, 1998

No. F. No.38-Estt.-SLAS-97.—In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice as required by sub-section (4) of Section 9 of the said Act, the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987);

(b) "Aided person" means a person to whom Legal Service is provided in accordance with the provisions of the Act, Rules and these regulations;

(c) "Chairman" means the Chairman of the High Court Legal Services Committee, or as the case may be, the Chairman of the District Authority;

(d) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh;

(e) "Committee" means the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act;

(f) "District Authority" means the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;

(g) "Executive Chairman" means the Executive Chairman of the State legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;

(h) "High Court" means the High Court of Madhya Pradesh;

(i) "Legal Practitioner" the expression "Legal practitioner" shall have the same meaning as assigned to it in the Advocates Act, 1961;

(j) "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceedings before any court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

(k) "Legal Service Advocate" means an advocate who has been assigned any work related to legal services;

(l) "Legal Service Counsel-cum-Consultant" means an Advocate appointed as legal service counsel-cum-consultant by the Committee, or, as the case may be, by the District Authority;

(m) "Member" means a Member of the High Court Legal Services Committee, or, as the case may be, a member of the District Legal Services Authority;

(n) "Rule" means a rule of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

(o) "Secretary" means the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act; or, as the case may be the Secretary of the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;

(p) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;

(q) "Section" means a Section of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(r) "State Government" means the Government of the State of Madhya Pradesh.

(s) Words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

1. GENERAL

3. Number, experience and qualifications of other Members of the Committee.—(1) The Committee shall have not more than 8 members.

(2) The following shall be ex-officio member of the Committee :—

- (i) President, High Court Bar Association, Jabalpur,
- (ii) Additional Registrar (Judicial) of Madhya Pradesh High Court Main Seat and Registrar at its Benches,

(3) The Executive Chairman may nominate in consultation with the Patron-in-Chief, not more than four members from amongst those possessing experience and qualifications specified in Sub-regulation (4).

(4) A person shall not be qualified for nomination as a Member of the Committee unless he is—

- (a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker section of the people; or
- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute, who is specially interested in the implementation of Legal Services Schemes.

4. Terms of Office and other conditions relating thereto of the Members of the Committee.—(1) The term of the Office of a Member of the Committee, other than ex-officio member, shall be two years :

Provided that a member shall be eligible for renomination for one more term.

(2) (i) The Chief Justice may remove any member of the Committee nominated under Sub-regulation 3 of regulation 3. Who

- (a) fails, without sufficient cause, to attend three consecutive meetings of the Committee ; or
- (b) has been adjudged as insolvent; or
- (c) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Chief Justice involves moral turpitude ; or
- (d) has become physically or mentally incapable of acting as a member ; or
- (e) has abused his position as to render his continuance in the Committee prejudicial to the public interest,

(ii) Not with standing any thing contained in clause (i) no member shall be removed from the Committee on the ground specified in Sub-clause (e) of that clause unless the Chairman, on a reference being made to him in this behalf by the Committee, has, on an enquiry held by him in

accordance with such procedure as he may specify in this behalf, recommended that the member ought, on such ground, to be removed.

(iii) A member may by writing under his hand addressed to the Chairman resign from the Committee and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman.

(3) any vacancy in the Office of a member of the Committee may be filled up in the same manner as provided for nomination and the person so nominated shall hold office for the residuary term of the member in whose place he is nominated.

(4) (a) All members nominated under sub-regulation (3) of regulation 3 shall be entitled to payment of travelling allowances, and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the Committee and shall be paid by the Committee in accordance with the rules as are applicable to grade "A" Officers, of the State Government.

(b) All members, except the Chairman, if they, happen to be the retired Judges of High Court, shall function in an honorary capacity,

(5) All members covered under sub-regulation (2) of regulation 3 and those nominated under sub-regulation (3) of that regulation, who happen to be serving Government Officers, shall be entitled to the payment of travelling allowances and daily allowances in respect of the journeys performed in connection with the work of the Committee in accordance with the provisions of the rules applicable to them and paid by the office from where the concerned members shall be drawing their pay and allowances and expenditures on this account shall be debited to the budget had to which their pay and allowances shall be debited.

5. Powers and functions of the Committee.—(a) The powers and functions of the Committee shall be to administer and implement the legal services programmes in so far as it relates to the High Court and for this purpose take all such steps as may be necessary and to act in accordance with the direction issued by the Central Authority or the State Authority from time to time,

(b) to receive and scrutinise applications for legal services and to decide all questions as to the grant or withdrawal of legal service on such terms and conditions as may be laid down by the Committee from time to time,

(c) to maintain panel of advocates of the High Court for giving legal service.,

(d) to decide all matters relating to payment of honorarium, costs, charges and expenses of legal services to the advocates of the High Court.

(e) to prepare and submit returns, reports and statistical information in regard to the legal services programmes to the State Authority.

6. Powers and functions of the Chairman.—(1) The Chairman of the Committee shall be in over all charge of administration and implementation of programmes of the Committee.

(2) The Chairman shall call the meetings of the Committee convened through the Secretary atleast once in a period of three months.

(3) The Chairman shall preside over the meetings of the Committee.

(4) The Chairman shall have all the residuary powers of the Committee.

7. Terms of office and conditions of service of the Secretary of the Committee.—(1) The Secretary of the Committee shall be the whole time employee on deputation and shall hold office for a term not exceeding five years.

(2) In all matters like age of retirement, pension pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the Secretary shall be governed by the Madhya Pradesh Uchcha Nyayik Sewa (Bharti Tatha Sewa Sharten) Niyam, 1994, or as the case may be, the High Court of Madhya Pradesh officers and employees recruitment and conditions of service (Classification, Control, Appeal and Conduct) Rules, 1996.

8. Functions and powers of the Secretary of the Committee.—(1) The Secretary shall be the principal officer of the Committee and shall be the custodian of all assets, accounts, records and funds at the disposal of the Committee.

(2) The Secretary shall maintain or cause to be maintained true and proper accounts of receipts and disbursements of the funds of the Committee and all other necessary records.

(3) The Secretary shall convene meetings of the Committee with the previous approval of the Chairman and shall also attend meetings and shall be responsible for maintaining a true and correct record of the minutes of the proceedings of the Meetings.

(4) All the orders and decisions of the Committee shall be authenticated by the Secretary of the Committee.

9. Meetings of the Committee.—(1) The Committee shall meet at least once in three months on such date and at such time and place as the Chairman may direct.

(2) The minutes shall be open to inspection at all reasonable times by the members of the Committee.

(3) A copy of minutes shall, as soon as may be, after the meeting, be forwarded to Executive Chairman of the State Authority.

(4) The quorum for the meeting shall be four including the Chairman.

(5) All questions which come up before any meeting of the Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in case of a tie, the Chairman shall also have the casting vote.

10. Funds, audit and accounts of the Committee.—(1) The Committee shall maintain a Fund to be called the High Court Legal Services Committee Fund to which shall be credited :—

(a) such amounts as may be allocated and granted to it by the State Authority;

(b) all such amounts as received by the Committee by way of donations;

(c) all such amounts as received by way of costs charges and expenses recovered from the persons to whom legal service is provided or the opposite party.

(2) All the amounts credited to the said fund shall be deposited in a nationalised bank.

Explanation.—In this sub-regulation "Nationalised Bank" means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1980.

(3) For the purpose of meeting incidental minor charges, such as court fee stamps and expenditure necessary for obtaining copies of documents etc., a permanent advance of Rupees two thousand five hundred shall be placed at the disposal of the Secretary of the Committee.

(4) All expenditure on legal service, accommodation and staff of the Committee as also expenditure necessary

for carrying out the various functions of the Committee shall be incurred out of the funds of the Committee with the prior approval of the Chairman.

(5) The funds of the Committee may be utilised for meeting the expenses incurred on or incidental to journeys undertaken by the Chairman or other members of the Committee or the Secretary in connection with legal services activities. The travelling allowances and dearness allowances payable to the Chairman, the ex-officio members and the Secretary shall be such as to which they are entitled by virtue of their respective offices.

(6) The Secretary of the Committee shall operate the bank accounts of the Committee in accordance with the directions of the Chairman.

(7) The committee shall cause to be kept and maintained true and correct accounts of all receipts and disbursement and furnish quarterly returns to the State Authority.

(8) The account of the Committee shall be audited annually by a qualified auditor and submitted to the State Authority.

2. LEGAL SERVICES BY THE COMMITTEE

11. Application for legal Services.—(1) Any person desiring legal service for bringing or defending any action in the High Court may make an application in writing together with an affidavit in Form I to the Secretary. If the applicant is illiterate or is not in a position to sign the Secretary or an officer of the Committee may record his verbal submissions and obtain his thumb impression on the record and such record will be treated as his application.

(2) The Committee shall maintain a register of applications wherein all applications for legal service shall be entered and registered date wise and the action taken on such applications shall be noted against the entry relating to such applications.

12. Disposal of Applications.—(1) On receipts of any application for legal service Regulation 11, the Secretary shall first examine and determine or cause to be examined and determined the eligibility of the applicant as per the provisions of the Act and the rules.

(2) If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merit of his application and if the applicant has merit in his application, the Secretary shall proceed to decide the mode of legal service.

(3) An application for the grant of legal services in any

matter, if it is not found meritorious may be rejected, for the reasons to be recorded in writing, by the secretary.

(4) In case of refusal for the grant of legal services, the Secretary shall inform the applicant in writing of such refusal.

(5) The applicant whose application for grant of legal services has been rejected may prefer an appeal before the chairman for a decision.

13. Mode of Legal Services.—Legal Services to be provided by the Committee may include any one or more of the following :—

- (a) payment of Court-fees, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- (b) charges for drafting, preparing and filing of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
- (c) cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
- (d) cost of preparation of paper book (including paper, printing and translation of documents) in legal proceedings and expenses incidental thereto.

14. Legal Services not to be provided in certain cases.—legal services shall not be given in the following cases, namely :—

- (1) Proceedings wholly or partly in respect of—
 - (a) defamations; or
 - (b) malicious prosecution; or
 - (c) a person charged with contempt of court proceedings; and
 - (d) perjury.
- (2) Proceedings relating to any election.
- (3) Proceedings incidental to any proceedings referred to in sub-regulations (1) and (2).
- (4) Proceedings in respect of offences where the fine imposed is not more than Rs. 50/-.
- (5) Proceedings in respect of economic offences and offences against social laws, such as, the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Immoral Traffic

(Prevention) Act, 1956 unless in such cases the aid is sought by the victim.

Provided that the Chairman may in an appropriate case grant legal services even in such proceedings.

(6) Where a person seeking legal services :—

(a) is concerned with the proceedings only in a representative or official capacity; or

(b) if a formal party to the proceedings not materially concerned in the outcome of the proceedings and his interests are not likely to be prejudiced on account of the absence of proper representation.

15. Legal Services may be granted in certain cases.— Irrespective of the means test, legal service may be granted:—

(a) in cases of great public importance; or

(b) in special case, reasons for which to be recorded in writing which is considered otherwise deserving of legal services.

16. Legal Service Advocates and Honorarium payable.—(1) A panel of Legal Service Advocates shall be prepared by the Chairman of the High Court Legal Services Committee. No person who has less than 5 years practice shall be included in the panel.

(2) The Legal Service advocate shall be paid such honorarium as may be fixed by the Committee.

(3) No Legal Service Advocate to whom any case is assigned either for legal advice or for legal services shall receive any fee or remuneration whether in cash or in kind or any other advantage, monetary or otherwise, from the aided person or from any other person on his behalf. However, the Executive Chairman shall reserve the right that in case any legal Service Advocate accepts any remuneration from the aided person, then after getting him self satisfied he can withdraw the case from him and cancel his name from the panel after giving him due opportunity.

(4) The legal service advocate who has completed his assignment, shall submit a statement showing the honorarium due to him together with the report of the work done in connection with the legal proceedings conducted by him on behalf of the aided person, to the Secretary or the Committee, who shall, after due scrutiny sanction the fee and expenses payable to him. It will, however, be open to the legal service advocate to waive the honorarium wholly

or partially. In case of any dispute on the quantum payable to the legal service advocate, the matter shall be placed before the Chairman for decision, whose decision shall be final. However, the Secretary may make interim payment of honorarium and expenses incurred by such legal Service Advocate.

17. Duties of aided person.—(1) A person seeking legal services shall comply with any requisition made on or direction given to him by the Secretary of the Committee or any of its members from the date the application for legal services is made till he enjoys the legal services granted to him.

(2) Every such person shall execute an undertaking-cum-declaration in form II that in the event of the Court passing a decree or order in his favour awarding costs to him or other monetary benefit or advantage, to repay by way of reimbursement to the Committee all costs, charges and expenses incurred by Committee in giving him legal service. For effecting such reimbursement, he shall authorise the Secretary of the Committee. The costs charges and expenses so recovered shall be credited to the Fund of the Committee.

(3) Every aided person or his representative shall attend the office of the committee as and when required by the committee or by the legal service advocate rendering legal aid to him and shall furnish full and true information and shall make full disclosure to the legal service advocate concerned and shall attend the court, as and when required, at his own expense.

18. Withdrawal of legal services.—(1) The Committee may either on its own motion or otherwise withdraw legal services granted to any aided person in the following circumstances, namely :—

(a) in the event of it being found that the aided person was possessed of sufficient means or that he obtained legal service by misrepresentation or fraud;

(b) in the event of any material change in the circumstances of the aided person;

(c) in the event of any misconduct, misdemeanor or negligence on the part of the aided person in the court of receiving legal service;

(d) in the event of the aided person not co-operating with the Committee or with the legal service advocate assign by the Committee;

(e) in the event of the aided person engaging a legal

practitioner other than the one assigned by the Committee;

(f) in the event of death of the aided person, except in the case of Civil proceedings where the right or liability survives;

(g) in the event of the application for legal service or the matter in question is found to be an abuse of the process of law or of legal service:

Provided that legal services shall not be withdrawn without giving due notice thereof to the aided person or to his legal representatives in the event of his death, to show cause as to why the legal service should not be withdrawn :

Provided further that no notice shall be necessary for withdrawal of legal service under clause;

(h) on the recommendation of the Court concerned where matter is pending.

(2) Where the legal services are withdrawn on the grounds set out in clause (a) of sub-regulation (1) the committee shall be entitled to recover from the aided person the amount of legal service granted to him.

CHAPTER-III — 1. GENERAL

19. Terms of office and other conditions relating thereto of the members of the district Authority.—(1) The term of office of a member of the District Authority, other than ex-officio member, shall be two years :

Provided that a member shall be eligible for renomination for one more term.

(2) (a) (i) A member of the District Authority nominated under sub rule (3) of rule 14 may be removed by the State Government if in the opinion of the State Government, he is not desirable to continue as a member.

(ii) A member may by writing under his hand addressed to the Chairman District Authority, resign from the District authority and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman.

(b) Any vacancy in the office of a member of the District Authority may be filled up in the same manner as provided for the nomination and the person so nominated shall hold office for the residuary term of the member in whose place he is nominated.

(3) (a) All members nominated under sub-rule (3) of

rule 14 shall be entitled to payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the District Authority and shall be paid by the District Authority in accordance with the rules as are applicable to Grade 'B' officers of the State Government.

(b) All members shall function in an honorary capacity.

(4) All members, who happen to be serving Government officers or employees, shall be entitled to the payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the District Authority in accordance with the provisions of the rules applicable to them and be paid by the office from where the concerned members, shall be drawing this pay and allowances and expenditure on this account shall be debited to the budget head to which their pay and allowances shall be debited.

20. Other Functions of the District Authority.—The District Authority, besides functions specified in Section 10 shall perform the following functions; namely :—

(a) give legal service within the District to persons who satisfy the criteria under the Act;

(b) undertake preventive and starategic legal aid programmes within the district;

(c) administer and implement the legal services programme in so far as it relates to the courts within the District and for this purpose, take all such steps as may be necessary and to act in accordance with the directions issued by the Central Authority or the State Authority from time to time;

(d) receive and scrutinise applications for legal services and decide all questions as to the grant or withdrawal of a legal service;

(e) decide all matters relating to payment of honorarium, costs charges and expenses of legal services to the advocates; and

(f) prepare and submit returns, reports and statistical information in regards to the legal services programme to the State Authority.

21. Powers & Functions of the Chairman of the District Authority.—(1) The chairman of the District Authority shall be in overall on charge of adiminstration and implementation of the programme of the State Authority and that of the District Authority.

(2) The Chairman shall call meetings of the District Authority convened through the Secretary of the District Authority at least once in a period of three months.

(3) The Chairman shall preside over the meeting of the District Authority.

(4) The Chairman shall have all the residuary powers of the Committee.

22. Terms of Office and other Conditions relating thereto of the Secretary of the District Authority.—(1) The Secretary of the District Authority shall hold office for a term not exceeding 5 years and shall be the part time employees, who shall be paid an honorarium of three hundred rupees per month by way of extra duty allowances.

(2) In all matters like age of retirement, pension, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the Secretary shall be governed by the rules applicable to him as judicial Officer.

23. Functions and powers of the Secretary of the District Authority.—(1) The Secretary shall be the Principal Officer of the District Authority and shall be the custodian of all assets, accounts, records and funds at the disposal of the State Authority, and all other necessary records.

(2) The Secretary shall maintain or cause to be maintained true and proper accounts of receipts and disbursements of the funds of the District Authority.

(3) The Secretary shall convene meetings of the District Authority with the previous approval of the Chairman of the District Authority and shall also attend meetings and shall be responsible for maintaining a record of the minutes of the proceedings of the meeting.

24. Meeting of the District Authority.—(1) The District Authority shall meet at least once in three months on such dates and at such place as the Chairman of the District Authority may direct.

(2) The minutes shall, as soon as may be, after the meeting be forwarded to the Chairman of the District Authority.

(3) The quorum for the meeting shall be three including the Chairman.

(4) All questions which come up before any meeting of the District Authority, shall be decided by the majority of votes of the members present and voting and in case of a tie, the Chairman shall also have casting vote.

25. Funds of the District Authority.—(1) The District Authority shall maintain a Fund to be called the District Legal Aid Fund to which shall be credited—

(a) such amount as may be allocated and granted to it by the State Authority;

(b) all such amounts as received by the District Authority by way of donations;

(c) all such amounts as received by way of costs, charges and expenses recovered from the persons to whom legal service is provided or the opposite party.

(2) All the amounts credited to the District Legal Aid Fund shall be deposited in a Nationalised Bank.

Explanation.—In this sub-regulation "Nationalised Bank" means corresponding new Bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

(3) For the purpose of meeting incidental minor charges, such as court fees, stamps and expenditure necessary for obtaining copies of documents etc., a permanent advance of rupees two thousand shall be placed at the disposal of the Secretary of the District Authority.

(4) All expenditures on legal services, accommodation and staff of the District Authority as also expenditure necessary for carrying out the various functions of the District Authority shall be incurred out of the funds of the District Authority and in accordance with the prior approval of the chairman of the District Authority.

(5) The Funds of the District Authority may be utilised for meeting the expenses incurred on or incidental to journeys undertaken by the Chairman or other Members of the District Authority or the Secretary in connection with the legal services activities. The travelling allowances and dearness allowances payable to the Chairman the Ex-officio Members and the Secretary shall be such as to which they are entitled by virtue of their respective office held.

(6) The Secretary shall operate the Bank Accounts of the District Authority in accordance with the directions of the Chairman.

(7) The District Authority shall cause to be kept and maintained true and correct accounts of all receipts and disbursements and furnish quarterly returns to the State Authority.

2. LEGAL SERVICES BY THE DISTRICT AUTHORITY

26. Application for legal services.—(1) Any person desiring legal service for bringing or defending any action in a Court within the District may make an application in writing together with an affidavit in form-I to the Secretary. However, if the applicant is illiterate or is not in a position to sign, the Secretary shall record his verbal submissions and obtain his thumb impression on the record and such record will be treated as his application.

(2) The District Authority shall maintain a register of applications wherein all applications for legal service shall be entered and registered date-wise and the action taken on such applications shall be noted against the entry relating to such applications.

27. Disposal of applications.—(1) On receipt of application for legal Service under Regulation 26 the Secretary shall first examine and determine or cause to be examined and determined the eligibility of the applicant as per the provisions of the Act and the rules.

(2) If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merit of his application and if the applicant has merit in his application the Secretary shall proceed to decide the mode of legal service.

(3) An application for the grant of legal services in any matter, if it is not found fit, may be rejected for reasons to be recorded in writing by the Secretary.

(4) In case of refusal for grant of legal services, the Secretary shall inform applicant in writing, of such refusal.

(5) The applicant whose application for grant of legal services, has been rejected, may prefer an appeal before the Chairman of the District Authority for a decision.

28. Mode of Legal Services.—Legal Services to be provided by the District Authority may include any one or more of the following :—

- (a) payment of Court fees, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- (b) Charges for drafting, preparing and filing of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
- (c) Cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceeding;

(d) Cost of translation of documents in legal proceeding and expenses incidental thereto.

29. Legal Services not to be provided in certain cases.—Legal Services shall not be given in the following cases, namely :—

(1) Proceedings wholly or partly in respect of—

- (a) defamation; or
- (b) malicious prosecution; or
- (c) a person charged with contempt of court proceedings; and
- (d) perjury.

(2) Proceedings relating to any election;

(3) Proceedings incidental to any proceedings referred to in sub-regulation (1) and (2);

(4) Proceedings in respect of offences where the fine imposed is not more than Rs. 50/-;

(5) Proceedings in respect of economic offences and offences against social laws, such as, the protection of Civil Rights Act, 1955, and the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 unless in such cases the aid is sought by the victim provided that the Chairman may in an appropriate case grant legal services even in such proceedings.

(6) Where a person seeking legal services :—

- (a) is concerned with the proceedings only in a representative or official capacity; or
- (b) is a formal party to the proceedings, not materially concerned in the outcome of the proceedings and his interests are not likely to be prejudiced on account of the absence of proper representation.

30. Legal Services may be granted in certain cases.—Irrespective of the means test, legal service may be granted :—

- (a) in cases of great public importance; or
- (b) in a special case, reasons for which to be recorded in writing, which is considered otherwise deserving of legal services.

31. Legal Service Advocates and honorarium payable.—(1) The Chairman of the District Authority shall prepare a panel of lawyers as Legal Service Advocates in consultation with the president of the District Bar

Association. No person who has put in less than five years practice be included in the panel. For Taluk Committee, the Chairman of the District Authority shall prepare a panel of lawyers in consultation with the Chairman of the Taluk Committee. No person who has put in less than three years practice be included in the panel.

(2) The legal service advocate shall be paid such honorarium as may be fixed by the District Authority in accordance with the guidelines issued by the State Authority from time to time.

(3) No legal service advocate to whom any case is assigned either for legal advice or for legal services, shall receive any fee or remuneration whether in cash or in kind or any other advantage monetary or otherwise, from the aided person or from any other person on his behalf.

(4) However, the Executive Chairman shall reserve the right that in case any legal service Advocate accepts any remuneration from the aided person, then after getting himself satisfied, he can withdraw the case from him and cancel his name from the panel after giving him due opportunity. (4) The legal service advocate who has completed his assignment, shall submit a statement showing the honorarium due to him together with the report of the work done in connection with the legal proceedings conducted by him on behalf of the aided person, to the Secretary of the District Authority who shall, after due scrutiny, sanction the fee and expenses payable to him. It will, however, be open to the legal service advocate to waive the honorarium wholly or partially. In case of any dispute on the quantum payable to the legal service advocate, the matter shall be placed before the Chairman of the District Authority for decision. However the Secretary may make interim payment of honorarium and expenses incurred by such legal service Advocate.

32. Duties of aided person.—(1) A person seeking legal services, shall comply with any requisition made on or direction given to him by the Secretary of the District Authority or any of its Members from the date the application for legal services is made till he enjoys the legal services granted to him.

(2) Every such person shall execute an undertaking-cum-declaration, in the form-II that in the event of the Court passing a decree or order in his favour awarding costs to him or other monetary benefits or advantage to repay by way of reimbursement to the District Authority all costs, charges and expenses incurred by the District Authority in giving him legal service. For effecting such reimbursement, he shall authorise the Secretary of the District Authority. The costs, charges and expenses, so recovered, shall be credited to the fund of the District Authority.

(3) Every aided person or his representative shall attend the office of the District Authority as and when required by the District Authority or by the legal service advocate rendering legal aid to him and shall furnish full and true information and shall make full disclosure to the legal service advocate concerned and shall attend, the Court, as and when required, at his own expenses.

33. Withdrawal of legal services.—(1) The District Authority may either on its own motion or otherwise, withdraw legal services granted to any aided person in the following circumstances; namely :—

- (a) in the event of it being found that the aided person was possessed of sufficient means or that he obtained legal service by misrepresentation or fraud;
- (b) in the event of any material change in the circumstances of the aided person;
- (c) in the event of any misconduct, misdemeanor or negligence on the part of the aided person in the course of receiving legal service;
- (d) in the event of the aided person not co-operating with the District Authority or with the legal service advocate assigned by the District Authority;
- (e) in the event of the aided person engaging a legal practitioner other than the one assigned by the District Authority;
- (f) in the event of death of the aided person, except in the case of Civil proceedings where the right or liability survives;
- (g) in the event of the application for legal service or the matter in question is found to be an abuse of the process of law or of legal service :

Provided that legal service shall not be withdrawn without giving due notice thereof to the aided person or to his legal representatives in the event of his death, to show cause as to why the legal service should not be withdrawn :

Provided further that no notice shall be necessary for withdrawal of legal service under clause (h).

- (h) on the recommendation of the Court concerned where matter is pending.

(2) Where the legal services are withdrawn on the grounds set out in clause (a) of sub-regulation above, the District Authority shall be entitled to recover from the aided person the amount of legal service granted to him.

34. Terms of the office and other condition relating thereto of the Members of Taluk Committee.—(1) The term of office of a member of the Taluk Committee, other than ex-officio member, shall two years :

Provided that a member shall be eligible for re-nomination for one more term.

(2) (a) (i) A member of the Taluk committee nominated under sub-rule (3) of the rule 17 may be removed by the state govt. if in the opinion of the state govt. he is not desirable to continue as a member.

(ii) A member may by writing under his hand addressed to the Chairman Taluk Committee resign from the Taluk Committee and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman.

(b) Any vacancy in the office of a member of the Taluk Committee may be filled up in the same manner as provided for the nomination and the person so nominated shall hold office for the residuary term of the member in whose place he is nominated.

(3) (a) all the members nominated under sub-rule (3) of rule 17 shall be entitled to payment of Travelling allowances and daily allowances in respect of journey performed in connection with the work of the taluk committee and shall be paid by the Taluk Committee in accordance with the rules as or applicable to "Grade B" officer of the state govt. as amended from the time to time.

(b) All member shall function in an honorary capacity.

4. All members, who happen to be serving govt. officers or employees shall be entitled to the payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the Taluk committee in accordance with the provisions of the rules applicable to them and the paid by the office from where the concerned members shall be drawing their pay and allowances and expenditure on this account shall be debited to the budget head to which their pay and allowances shall be debited.

35. Headquarters and office of the State Authority.—Headquarters and office of the State Authority shall be located at Jabalpur, the Main Seat of the High Court.

36. Notwithstanding anything to the contrary in these Regulations, the State Authority shall have power to transfer its officers and other employees and the officers and other employees of the High Court Legal Services Committee, District Legal services Authorities and Taluk/Tahsil/Sub-

Division Legal services Committees on its own establishment or on the establishments of the High Court Legal services Committee, other District Legal Services Authorities or Taluk/Tahsil, Sub-Division Legal Services Committees, as the case may be."

37. Transitory Powers.—The patron of the State Legal Services Authority or the Executive Chairman of the State Legal Services Authority shall have the transitory power to meet such urgent/emergent situations as may arise or Situation necessitate.

38. If any difficulty arises in the interpretation of the Regulations, then the decision of the patron shall be final.

FORM-I

[See sub-regulation (1) of regulation 11 and sub-regulation (1) of regulation 26]

AFFIDAVIT

I, aged about years, son of/daughter of/wife of Shri Resident of do hereby solemnly affirm and state as under :—

(a) I belong to a member of a Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(b) I am a victim of trafficking in human beings or a begar.

(c) I am eligible for legal services as I am a woman/child.

(d) I am a mentally ill or otherwise disabled person.

(e) I am a person under circumstances of under served want being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster.

(f) I Am an industrial workman.

(g) I am in custody.

(h) My annual income from all sources is below Rs. 12000/- (Rupees Twelve Thousand only).

DEPONENT